REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092020-221805 CG-DL-E-17092020-221805

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2832]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2020/भाद्र 26, 1942No. 2832]NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2020/BHADRA 26, 1942

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2020

**का.आ. 3180(अ)**.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के स्तम्भ क्रमश: (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं .	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
569	एनई ए5	पंजाब राज्य में नकोदर के निकट कांग साहबू गांव पर एनई-5 और रारा-703 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर ईशरवाल (सुल्तानपुर लोधी के निकट), गोइंदवाल साहिब, खदुर साहिब, बाशंबरपुरा, वेरका, अदलीवाला को जोड़ते हुए और राजा सांसी हवाई अड्डा, अमृतसर के निकट रारा – 354 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला एक्सप्रेसवे (निर्माणाधीन)।

**पाद टिप्पण :** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में अधिसूचना सं. का. आ. 2566 (अ), दिनांकित 31 जुलाई, 2020 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

[फा.सं. एनएच-14012/9/2020-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2020

**S.O. 3180(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
569	NE 5A	The Expressway (under construction) starting from its junction with NE-5 and NH-703 at Kang Sahbu village near Nakodar connecting Isharwal (near Sultanpur Lodhi), Goindwal Sahib, Khadur Sahib, Bashambarpura, Verka, Adliwala and terminating at its junction with NH-354 near Raja Sansi Airport, Amritsar in the State of Punjab.

Footnote: The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted *vide* notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended *vide* notifications number S.O. 2566 (E), dated 31st July, 2020.

[F. No. NH-14012/9/2020-P&M] RAJESH GUPTA, Dy. Secy.